

प्रपत्र-3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वन संरक्षक/वन अधि. का स्थला निरीक्षण प्रतिवेदन

1. परियोजना का नाम : - सकेतवा जलाशय परियोजना
2. आवेदक/आवेदक विभाग का नाम : - कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र. 2, संभाग - रामानुजगंज, जिला - बलरामपुर (छ.ग.)
3. गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग : - सकेतवा जलाशय परियोजना
4. आवेदित क्षेत्र की स्थिति

	जिला	वनमण्डल	परियोजना स्थल
	बलरामपुर	बलरामपुर	सेमरसोत (बलरामपुर)
5. वन भूमि का विस्तृत विवरण :

	वनखण्ड	कक्ष क्रमांक	आवेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल(हे०.)
(क) आरक्षित वन		RF 524	
(ख) सीमांकित संरक्षित वन:		PF 525	
योग रकबा : 4.670 हेक्टेयर			
- (ग) असीमांकित संरक्षित वन :

	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	आवेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल
	निरंक	निरंक	निरंक
- (घ) राजस्व वन क्षेत्र

	निरंक	निरंक	निरंक
	निरंक	निरंक	निरंक
कुल योग	निरंक	निरंक	निरंक
6. आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार :

:	साल/सागौन/मिश्रित/लेन्ताना	: - मिश्रित प्रजाति
:	साईट क्वालिटी : I/II/III/IVA/IVB/V	: - IVb
:	*घनत्व : 0.4 तक / >0.4 से 0.6 / >0.6	: - 0.4 तक
7. आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण : प्रजाति कुल वृक्षों की संख्या : मिश्रित प्रजाति - 124 नग
विवरण पत्रक संलग्न है।
8. आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति :- सामान्य
9. आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी/वनमार्ग आदि) से दूरी जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें। : मानचित्र में अंकित है।
10. क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sansitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर बाडी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा से 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं ? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।

सेमरसोत 22-12-24
 का नपा है।
 :
 // लगातार पृष्ठ दो पर..//

- 11 आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वन क्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावें। : अंतर्गत नहीं आता है।
- 12) आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण दें। : नहीं।

प्रमाण पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किए गए भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल : — बलरामपुर

दिनांक : —

(सी.एस.तिवारी)
'भा.व.से.'
एलीफेन्ट रिजर्व, सरगुजा
अम्बिकापुर (छ.ग.)

(97)